



राजस्व लोक अदालत अभियान  
"न्याय आपके द्वार-2018"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर जिला-अजमेर

राजस्व वाद संख्या 40/2017

राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प – किशनपुरा

श्री तेजा उम्र 53 साल सुपुत्र श्री उदा जी जाति मेहरात निवासी ग्राम किशनपुरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)

-----वादी

ब न म

- 1- श्री देवा वयस्क सुपुत्र श्री उदाजी जाति मेहरात निवासी ग्राम किशनपुरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर (राज.)
- 2- राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, ब्यावर
- 3- श्रीमान् उपपंजीयक महोदय, तहसील कार्यालय, ब्यावर (राज.)
- 4- राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय, अजमेर (राज.)

-----प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अंतिम निर्णय

दिनांक 21.05.2018

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट किशनपुरा में पेश हुआ। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 27.03.2018 को निर्णय व प्रारंभिक डिक्री पारित की गई। जिसके तहत तहसीलदार ब्यावर को पत्र क्रमांक 2445 दिनांक 03.04.2018 को डिक्री की पालना हेतु तहरीर जारी की गई। अनुपालना में तहसीलदार ब्यावर ने बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर अपने पत्र क्रमांक/भूअ./2017/2820 दिनांक 14.05.2018 द्वारा प्रस्तुत किया गया।

वादी स्वयं उपस्थित। परोकार सरकार उपस्थित। मजमें आम में उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। वादी ने बंटवारा प्रस्ताव अनुसार निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यथाप्रस्ताव बंटवारा की डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित है। अतः यथाप्रस्ताव बंटवारा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार ग्राम किशनपुरा पटवार क्षेत्र किशनपुरा भूअ.निरीक्षक क्षेत्र नरबदखेड़ा तहसील ब्यावर जिला-अजमेर स्थित खसरा नंबर 159 रकबा 01-00-10, 166 रकबा 00-18-00, 256 रकबा 00-11-10, 258 रकबा 00-01-10, 259 रकबा 00-01-10, 435 रकबा 00-04-00, 436/2 रकबा 00-03-10, 601 रकबा 01-02-10, 723 रकबा 00-07-00, 737 रकबा 00-04-10, 739 रकबा 00-09-00 कुल कित्ता 11 कुल रकबा 05-03-10 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में नारंगी रंग से दर्शाया गया है, को प्रतिवादी संख्या 1 देवा वल्द उदा कौम मेरात सा. देह खातेदार के हिस्से में तथा खसरा संख्या 295 रकबा 00-16-00, 355 रकबा 01-05-10, 356 रकबा 00-08-10, 375 रकबा 00-11-10, 436/1 रकबा 00-01-10, 437 रकबा 00-05-10, 508 रकबा 00-19-00, 515 रकबा 00-07-00, 617 रकबा 00-09-00 कुल कित्ता 9 कुल रकबा 05-03-10 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में हरे रंग से दर्शाया गया है, को वादी श्री तेजा वल्द उदा कौम मेरात सा. देह खातेदार के हिस्से में रखे जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। तहसीलदार ब्यावर को यथानुसार राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक खाते कायम करने एवं लगान कायम करने तथा राजस्व नक्शे में यथानुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पक्षकारान अपने अपने हिस्से में आई भूमियों के अतिरिक्त अन्य भूमियों में किसी प्रकार की दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। तदनुसार अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.5.2018 को मेरे द्वारा कोर्ट कैंप किशनपुरा में खुले न्यायालय में सुनाया गया।



*(Signature)*  
(सुखराम खोखर)  
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर  
आर०ए०एस०  
ब्यावर  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, ब्यावर

अंतिम डिगरी मुकदमा इब्दाई  
(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुकाम ब्यावर  
व अजलाम सुखराम खोखर आर. ए. एस.

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प – किशनपुरा  
राजस्व वाद संख्या 40/2017

श्री तेजा उग्र 53 साल सुपुत्र श्री उदा जी जाति मेहरात निवासी ग्राम किशनपुरा तहसील  
ब्यावर जिला अजमेर (राज.)

-----वादी

ब ना म

- 1- श्री देवा वयस्क सुपुत्र श्री उदाजी जाति मेहरात निवासी ग्राम किशनपुरा तहसील  
ब्यावर जिला अजमेर (राज.)
- 2- राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, ब्यावर
- 3- श्रीमान् उपपंजीयक महोदय, तहसील कार्यालय, ब्यावर (राज.)
- 4- राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय, अजमेर (राज.)

-----प्रतिवादीगण

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

अधिवक्ता वादी - श्री लक्ष्मणसिंह राठौड़

अधिवक्ता प्रतिवादी सं.1 - श्री सुरेन्द्र सिंह

अधिवक्ता प्रतिवादी सं.2से5 - परोकार सरकार तहसीलदार ब्यावर

मुकदमा राजस्व वाद नम्बर :- 40/2017

निर्णय/डिक्री दिनांक :- 21.05.2018

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट किशनपुरा में पेश हुआ। परोकार सरकार उपस्थित। मजमें आम में मौजूद पक्षकारान की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 21.05.2018 को सुखराम खोखर (आए.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष लोक अदालत शिविर/कैम्प कोर्ट किशनपुरा में अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि -

मजमें आम में रूबरू मोतबिरान पूछताछ एवं बंटवारा प्रस्ताव अनुसार यथाप्रस्ताव बंटवारा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार ग्राम किशनपुरा पटवार क्षेत्र किशनपुरा भूअ.निरीक्षक क्षेत्र नरबदखेड़ा तहसील ब्यावर जिला-अजमेर स्थित खसरा नंबर 159 रकबा 01-00-10, 166 रकबा 00-18-00, 256 रकबा 00-11-10, 258 रकबा 00-01-10, 259 रकबा 00-01-10, 435 रकबा 00-04-00, 436/2 रकबा 00-03-10, 601 रकबा 01-02-10, 723 रकबा 00-07-00, 737 रकबा 00-04-10, 739 रकबा 00-09-00 कुल कित्ता 11 कुल रकबा 05-03-10 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में नारंगी रंग से दर्शाया गया है, को प्रतिवादी संख्या 1 देवा वल्द उदा कौम मेरात सा. देह खातेदार के हिस्से में तथा खसरा संख्या 295 रकबा 00-16-00, 355 रकबा 01-05-10, 356 रकबा 00-08-10, 375 रकबा 00-11-10, 436/1 रकबा 00-01-10, 437 रकबा 00-05-10, 508 रकबा 00-19-00, 515 रकबा 00-07-00, 617 रकबा 00-09-00 कुल कित्ता 9 कुल रकबा 05-03-10 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में हरे रंग से दर्शाया गया है, को वादी श्री तेजा वल्द उदा कौम मेरात सा. देह खातेदार के हिस्से में रखे जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। तहसीलदार ब्यावर को यथानुसार राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक खाते कायम करने एवं लगान कायम करने तथा राजस्व नक्शे में यथानुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पक्षकारान अपने अपने हिस्से में आई भूमियों के अतिरिक्त अन्य भूमियों में किसी प्रकार की दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आज तारीख 21.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की



*Signature*  
उपखण्ड अधि. एवं गृह. कलक्टर  
आर. ए. एस. 0

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, ब्यावर

.....लगातार

अंतिम डिग्री मुकदमा इबतदाई  
श्री तेजा बनाम श्री देवा व अन्य  
राजस्व वाद संख्या 40/2017

अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प - किशनपुरा

| वादी  | प्रतिवादी |   |
|---|-----------|---|
|   | रुपया     | रुपया   |
| 1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प<br>2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प<br>4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस<br>5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय<br>6. कमिश्नर की फीस<br>7. आदेशिका की तामिल |           | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>अर्जी के लिए स्टाम्प<br>प्लीडर की फीस<br>साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय<br>आदेशिका की तामिल<br>कमिश्नर की फीस |
| जोड़  |           | जोड़  |



*Devi*  
(सुरवराज सहपाठक कलक्टर)  
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर  
आइएएस0.  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर, ब्यावर